उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-78/2022/428/41-2022/44(बजट)/2021

लखनऊ दिनांक 11 फरवरी 2022

शासनादेश संख्या-548/2021/2875/41-2021/44(बजट)/2021 दिनांक 28-10-2021 एवं

शुद्धि पत्र सं0-35/2022/4880/41-2021-44(बजट)/2021 दिनांक 07-01-2022

का शुद्धि पत्र

महानिदेशक पर्यटन के पत्रांक-7394/मु0प0सं0यो0(56)/2021 दिनांक 22-02-021 द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र-ओबरा के ग्राम पंचायत सलखन में स्थित फासिल्स पार्क के पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासनादेश सं0-160 /2021/389(1ऋ/41-2021-44(बजट)/2021 दिनांक 24-02-21 द्वारा रू0 50.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 25.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त शासनादेश की प्रति क्रमांक-4 पर मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी को पृष्ठांकित कर प्रेषित की गई थी जिसके अनुक्रम में में निदेशालय द्वारा कार्यालय आदेश जारी करते हुए संयुक्त निदेशक पर्यटन वाराणसी को कार्यदायी संस्था-प्रभागीय वनाधिकारी कैमूरवन्य जीव वन प्रभाग मीरजापुर को धनराशि उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु निदेशालय द्वारा जारी किये गये उक्त कार्यालय आदेश के क्रम में संयुक्त निदेशक पर्यटन वाराणसी ने पत्रांक-3756 दिनांक 24-03-21 के माध्यम से सूचित किया गया कि धनराशि का डी0सी0एल0 खाते के माध्यम से वाराणसी कोषागार से मीरजापुर को ट्रांसफर किया जाना संभव नहीं है। तत्समय वित्तीय वर्ष का अन्त सन्निकट होने के कारण शासनादेश को संशोधित करने हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं था ,अतः शासकीय हित में रू0 25.00 लाख की धनराशि जिलाधिकारी ,मीरजापुर के निवर्तन पर रखते हुए कार्यदायी संस्था- प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव वन प्रभाग, मीरजापुर को उपलब्ध कराने हेतु संशोधित कार्यालय आदेश जारी किया गया जिसके क्रम में धनराशि जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा आहरित कर कार्यदायी संस्था- कैमूर वन्य जीव वन प्रभाग, मीरजापुर को उपलब्ध करा दी गयी। तदनन्तर वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासनादेश सं0-548/2021/2875/41-2021-44(बजट)/2021 दिनांक 28-10-2021 द्वारा सलखन फासिल्स पार्क के पर्यटन विकास की योजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 17.84 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी , जिसमें शासनादेश की प्रतिलिपि क्रमांक-4 पर मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ अंकित था। उक्त कारण से धनराशि का आहरण नहीं हो पाने के कारण महानिदेशक पर्यटन के पत्रांक-6070/मु0प0सं0यो0(56)/2021 दिनांक 27-12-21 द्वारा प्रायोजना की द्वितीय किश्त की स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 28-10-21 का शुद्धि पत्र जारी करते हुये मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी ,वाराणसी अंकित करने का अनुरोध शासन से किया गया। तत्क्रम में शासन द्वारा निर्गत किये गये शुद्धि पत्र सं0-35/2022/4880/41-2021-44(बजट)/2021 दिनांक 07-01-2022 में आहरण हेतु मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी ,वाराणसी अंकित कर दिया गया। उक्त शुद्धि पत्र के क्रम में निदेशालय के कार्यालय आदेश द्वारा संयुक्त निदेशक पर्यटन वाराणसी को धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत किया गया जिसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर ने पत्र संख्या-1593, दिनांक 03-02-2022 द्वारा अनुरोध किया है कि पर्यटन विभाग से राजकीय कार्यों के सम्पादन हेतु इस प्रभाग में कोई उचित बचत खाता/चालू खाता उपलब्ध नहीं है एवं वर्तमान समय में आहरण वितरण हेतु ट्रेजरी सिस्टम लागू है। इस प्रभाग का समस्त आहरण वितरण जनपद मीरजापुर ट्रेजरी से होता है। अतः धनराशि रू0 17.84 लाख जिलाधिकारी मीरजापुर के माध्यम से मीरजापुर ट्रेजरी पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।संयुक्त निदेशक पर्यटन, वाराणसी ने भी अपने पत्र संख्या-4399, दिनांक 10-02-2022 द्वारा निर्गत

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

घनराशि रू0 17.84 लाख को समर्पित करते हुए धनराशि को जिलाधिकारी मीरजापुर के माध्यम से मीरजापुर ट्रेजरी, वनाधिकारी , मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। अतः उक्त के दृष्टिगत महानिदेशक पर्यटन द्वारा प्रायोजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि रू0 17.84 लाख को जिलाधिकारी मीरजापुर के निवर्तन पर रखने तथा प्रतिलिपि में मुख्य कोषाधिकारी मीरजापुर को पृष्ठांकित करते हुए पुनः शुद्धि पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2. अतः शासनादेश संख्या-548/2021/2875/41-2021/44(बजट)/2021 दिनांक 28-10-2021 के क्रम में निर्गत किये गये शुद्धि पत्र सं0-35/2022/4880/41-2021-44(बजट)/2021 दिनांक 07-01-2022 को एतद्द्वारा निरस्त करते हुये संदर्भगत शासनादेश दि0-28-10-21 के पृष्ठांकन में क्रमांक-4 पर अंकित मुख्य कोषाधिकारी , जवाहर भवन, लखनऊ के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, मीरजापुर अंकित किया जाता है एवं प्रायोजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि रू0-17.84 लाख को इस प्रतिबन्ध के अधीन जिलाधिकारी मीरजापुर के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि उक्त धनराशि के आहरण के पूर्व उप निदेशक पर्यटन निदेशालय उ0प्र0 एवं संयुक्त निदेशक पर्यटन विन्ध्याचल मण्डल द्वारा प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या-548/2021/2875/41-2021/ 44(बजट)/2021 दिनांक 28-10-2021 द्वारा अवमुक्त की गई द्वितीय किश्त की धनराशि रू0-17.84 लाख का दोहरा आहरण न हो।

3- संदर्भगत शासनादेश संख्या-548/2021/2875/41-2021/44(बजट)/2021 दिनांक 28-10-2021 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महानिदेशक पर्यटन उ0प्र0 , लखनऊ ।
4- जिलाधिकारी मीरजापुर ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, मीरजापुर।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ को शुद्धि पत्र के क्रम में अवगतार्थ।
8- प्रभागीय वनाधिकारी ,कैमूर वन्य जीव वन प्रभाग ,मीरजापुर ।
9- मुख्य वन संरक्षक ,वन्य जीव पश्चिम क्षेत्र उ0प्र0 कानपुर ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ,उ0प्र0 शासन।
11- संयुक्त निदेशक पर्यटन विन्ध्याचल मण्डल/ उप निदेशक पर्यटन निदेशालय लखनऊ को इस निर्देश सहित प्रेषित कि भविष्य में प्रस्ताव प्रेषित करते समय संबंधित कोषाधिकारी का विवरण अवश्य अंकित कर प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in